



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ०प्र०

ई-मेल आईडी: aldda@rediffmail.com

एन०आई०टी० सं० : १५ / मु०अ० / वि०प्रा० / 2025

दिनांक : ०१ दिसम्बर, 2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सुसंगत अर्हताएं रखने वाले फर्मों/संस्थाओं, जिसका उल्लेख सुसंगत आर०एफ०पी० डॉक्यूमेन्ट में किया गया है, से ई-निविदा सपठित नियम व शर्तों के अधीन टू-बिड सिस्टम में आमंत्रित की जाती है:-

क० सं०	कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य GST सहित (रु० में)	कार्य अवधि	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hiring of consultant to assist Prayagraj Development Authority in land assembly Activities in Prayagraj	1.20	5,900/-	03 वर्ष	17-12-2025 03:00 PM
2	Empanelment of firms for Comprehensive Architecture and urban Design service for upcoming Projects in Prayagraj Development Authority U.P.	1.00	5900/-	03 वर्ष	17-12-2025 03:00 PM

नियम व शर्तें:-

- निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) या धरोहर धनराशि निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
- विस्तृत विवरण सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 03-12-2025 को अपराह्न 02:00 बजे से उत्तर प्रदेश शासन की ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं।
- निविदायें निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि वाले दिवस पर अपराह्न 4:00 बजे प्राधिकरण सभागार में खोली जायेंगी।
- उक्त कार्य की निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सुझाव/क्वेरी (Queries) प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ई-मेल aldda@rediffmail.com पर दिनांक 12-12-2025 के अपराह्न 5.00 बजे तक प्रेषित किये जा सकते हैं।
- निविदा आमंत्रण सूचना से सम्बन्धित संशोधन/परिमार्जन समाचार पत्र में प्रकाशित न कर उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
- निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या-00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू०टी०आर० स्लिप (पृथक-पृथक) की स्कैन कापी ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा शुल्क या धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश होने पर उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
- निविदादाता का आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी०एस०टी० विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- निविदा प्रपत्र एवं इसके साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
- निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव आर०एफ०पी० प्रपत्र के एनेक्जर पर अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org पर एवं निविदा प्रपत्र ई-पोर्टल वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट

को समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

15. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली-सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्पादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से डिबार कर दिया जायेगा।
17. स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their dependent) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
18. निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट का रिश्तेदार (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
19. निविदादाता को प्रस्तर-18 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त एक घोषणा पत्र इस आशय का देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, सम्बन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कम्पनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण अविलम्ब निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटन है तो उसको भी समाप्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण अविलम्ब जब्त कर लेगा।
20. आवेदक या पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार पर कम्पटीशन एक्ट, 2002 के समस्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
21. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
22. 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समापन तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
23. निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि की RTGS/NEFT के माध्यम से जमा होने की स्लिप/रसीद की मूलप्रति निविदा खोलने के अगले कार्य-दिवस में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
24. निविदादाताओं द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप ही वांछित प्रपत्रों को टेक्निकल बिड में अपलोड किया जाये एवं उस पर पेज नम्बर डाला जाये तथा कोई अनावश्यक प्रपत्र न लगाया जाय।